



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2010/फाल्गुन 21, 1931

No. 115]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2010/PHALGUNA 21, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2010

सर.का.नि. 190(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और सभी संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) ये विनियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2010 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र

1. संयुक्त एजीएमयूटी संवर्ग के अंतर्गत 183
वरिष्ठ इयूटी पद

अरुणाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत पद 37

पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम सेवावधि (वर्षों में)
सरकार के मुख्य सचिव	—
विकास आयुक्त	2
आयुक्त-सह-सचिव (पी.डब्ल्यू.डी./आर.डब्ल्यू.डी.)	2
आयुक्त-सह-सचिव (वित्त)	2
आयुक्त-सह-सचिव (गृह)	2
आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा)	2
आयुक्त-सह-सचिव (बिजली और जल संसाधन)	2
आयुक्त-सह-सचिव (कार्मिक)	2
आयुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य)	2
सचिव (उद्योग)	2
सचिव (आपूर्ति और परिवहन)	2
सचिव (ग्रामीण विकास)	2
मुख्य मंत्र. के सचिव	2
राज्यपाल के सचिव	2
पंजीयक, सहकारी समिति	2
निदेशक (परिवहन)	2
निदेशक, नागरिक आपूर्ति	2

निदेशक (शिक्षा)	1	2	आयुक्त-सह-सचिव (वित्त)	1	2
निदेशक (स्वास्थ्य सेवा)	1	2	आयुक्त-सह-सचिव (पोत परिवहन और परिवहन)	1	2
स्थानिक आयुक्त	1	2			
उपायुक्त (जिला)	17	2	उप रज्यपाल के सचिव	1	2
गोवा सरकार के अंतर्गत पद	18		उपायुक्त (जिला)	3	2
मुख्य सचिव	1	—	सचिव (कार्मिक)	1	2
प्रधान सचिव	1	2	सचिव (पर्यटन)	1	2
आयुक्त/सचिव (वित्त)	1	2	सचिव (स्वास्थ्य)	1	2
आयुक्त/सचिव (शिक्षा और स्वास्थ्य)	1	2	सचिव (शिक्षा)	1	2
रज्यपाल के सचिव	1	2	सचिव (आर.डी./एल.एस.जी. और पी.इक्यू.डी.)	1	2
मुख्य मंत्री के सचिव	1	2	स्थानिक आयुक्त	1	2
सरकार के सचिव	4	2	घंडीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत पद	9	
अयुक्त (बैट)	1	2	प्रशासक के सलाहकार, चण्डीगढ़	1	—
निदेशक (उद्योग और खान)	1	2	सचिव (गृह)	1	2
कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट	2	2	सचिव (वित्त)	1	2
आयुक्त, उत्पाद शुल्क	1	2	उपायुक्त (जिला)	1	2
निदेशक (शिक्षा)	1	2	संयुक्त सचिव (वित्त)	1	2
निदेशक (पर्यटन)	1	2	सचिव	2	2
स्थानिक आयुक्त	1	2	अपर सचिव	1	2
मिजोरम सरकार के अंतर्गत पद	29		अपर उपायुक्त	1	2
मुख्य सचिव	1	—	दमन दीव/दादरा तथा नागर हवेली	5	
विकास आयुक्त	1	2	प्रशासन के अंतर्गत पद		
आयुक्त और सचिव (वित्त)	1	2	विकास आयुक्त	1	—
आयुक्त और सचिव (राजस्व)	1	2	वित्त सचिव	1	2
आयुक्त और सचिव (गृह)	1	2	कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट	3	2
आयुक्त और सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)	1	2	(दमन, दीव और दादरा और नागर हवेली)		
आयुक्त और सचिव (शिक्षा)	1	2	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अंतर्गत पद	56	
सचिव	4	2	सरकार के मुख्य सचिव	1	—
राज्यपाल के सचिव	1	2	वित्त सचिव	1	2
मुख्य मंत्री के सचिव	1	2	प्रधान सचिव (गृह)	1	2
पंजीयक, सहकारी समिति	1	2	प्रधान सचिव (वित्त)	1	2
विशेष सचिव	3	2	प्रधान सचिव (यू.डी.)	1	2
निदेशक (खाद्य और आपूर्ति)	1	2	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)	1	2
निदेशक (उद्योग)	1	2	प्रधान सचिव (पी.डब्ल्यू.डी./एल. एंड बी.)	1	2
निदेशक (शिक्षा)	1	2	प्रधान सचिव (परिवहन)	1	2
उपायुक्त (जिला)	8	2	प्रधान सचिव (शिक्षा)	1	2
स्थानिक आयुक्त	1	2	अध्यक्ष, डी.एस.एस.सी.	1	2
अंडमान और निकोबार प्रशासन के अंतर्गत पद	14		एल. जी. के प्रधान सचिव	1	2
मुख्य सचिव	1	—			
विकास आयुक्त	1	2			

—	सी. एम. के प्रधान सचिव	1	2	विशेष सचिव (एन.सी.आर.)	1	2
	आयुक्त-सह-सचिव (पर्यावरण और वन तथा गैर-परम्परागत ऊर्जा)	1	2	विशेष सचिव (यू.डी.)	1	2
	आयुक्त-सह-सचिव (पर्यटन, संस्कृति, पुरातत्व और अकादमी)	1	2	विशेष सचिव (पो. डब्ल्यू. डी.)	1	2
	आयुक्त और सचिव (विकास)	1	2	उप राज्यपाल के विशेष सचिव	1	2
	आयुक्त और सचिव (उद्योग)	1	2	निदेशक, महिला एवं बाल विकास	1	2
	आयुक्त और सचिव (खाद्य और आपूर्ति)	1	2	सहस्राधीय प्रशासन के अंतर्गत पद	2	
	आयुक्त और सचिव (योजना और अथसंरचना)	1	2	विकास आयुक्त	1	—
	आयुक्त और सचिव (जल और संसाधन)	1	2	कलेक्टर-सह-जिला मजिस्ट्रेट	1	2
	प्रादेशिक आयुक्त	1	2	पुदुच्चेरी सरकार के अंतर्गत पद	13	
	निदेशक, सतर्कता	1	2	मुख्य सचिव	1	—
	निदेशक, शिक्षा	1	2	सचिव (योजना) सह-विकास आयुक्त	1	2
	आयुक्त (व्यापार और कर)	1	2	आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा और कल्याण)	1	2
	आयुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)	1	2	आयुक्त-सह-सचिव (वित्त)	1	2
	आयुक्त-सह-सचिव (टी.टी.ई)	1	2	सरकार के सचिव	4	2
	आयुक्त-सह-सचिव (जी.ए.डी. और ए.आर.)	1	2	स्थानिक आयुक्त	1	2
	आयुक्त-सह-सचिव (सामाजिक कल्याण और महिला और बाल विकास)	1	2	उप-राज्यपाल के सचिव	1	2
	आयुक्त और सचिव (सेवा और प्रशिक्षण)	1	2	मुख्य मंत्री के सचिव	1	2
	आयुक्त (उपाय शुल्क और मनोरंजन)	1	2	कलेक्टर	2	2
	आयुक्त (श्रम)	1	2	1. संयुक्त एजीएमयूटी संवर्ग के अंतर्गत खरिष्ट इयूटी पद	183	
	विशेष आयुक्त (परिवहन)	1	2	2. केन्द्रीय प्रतिनिधिक रिजर्व उपयुक्त मद्र 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	73	
	विशेष आयुक्त (व्यापार और कर)	2	2	3. राज्य प्रतिनिधिक रिजर्व उपयुक्त मद्र 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	45	
	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1	2	4. प्रशिक्षण रिजर्व उपयुक्त मद्र 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	6	
	महानिरीक्षक, पंजीयन (राजस्व विकास)	1	2	5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपयुक्त मद्र 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	30	
	पंजीयक, सहकारी समिति	1	2	6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपयुक्त मद्र 1, 2, 3 और 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	102	
	निदेशक (प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा)	1	2	7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद्र 1+2+3+4+5-6)	235	
	निदेशक (उच्च शिक्षा)	1	2	कुल प्राधिकृत पद संख्या	337	
	सी.ई.ओ. (आपदा प्रबंधन)	1	2	टिप्पणी (1): इस अधिनियम के जारी होने से पूर्व, एजीएमयूटी की कुल प्राधिकृत संख्या 245 थी।		
	उपायुक्त (जिला)	5	2	[सं. 11031/03/2009-अ.भा.से.-II-क]		
	निदेशक, प्रशिक्षण (यू.टी.सी.एस.)	1	2	हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी		
	निदेशक, सामाजिक कल्याण	1	2	टिप्पणी (2): मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की सं. का. नि. आ. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। एजीएमयूटी संवर्ग के संबंध में विनियम निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे :		
	निदेशक, कृषि विपणन	1	2			
	विशेष सचिव (वित्त)	1	2			
	अपर निदेशक, शिक्षा (प्रशासन)	1	2			
	विशेष सचिव (योजना और निगरानी और आई.एस.एच.एम., स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)	1	2			
	विशेष सचिव (सेवा)	1	2			

क्र.सं.	सं.सा.का.वि.	तारीख	*ARUNACHAL PRADESH-GO A-MIZORAM-UNION TERRITORIES		
1.	1065	5-10-1974	I. Senior Duty Posts under the Joint AGMUT Cadre 183		
2.	92	25-1-1975			
3.	286(अ)	6-4-1976			
4.	1323	8-10-1977			
5.	1280	28-10-1978			
6.	1037	11-8-1979	Posts under the Government of Arunachal Pradesh 37		
7.	529(अ)	8-9-1980	Chief Secretary to the Government 1 —		
8.	229	28-2-1981	Development Commissioner 1 2		
9.	446(अ)	24-5-1983	Commissioner-cum-Secretary (PWD/RWD) 1 2		
10.	775(अ)	17-11-1984	Commissioner-cum-Secretary (Finance) 1 2		
11.	1069	13-12-1986	Commissioner-cum-Secretary (Home) 1 2		
12.	190	26-3-1988	Commissioner-cum-Secretary (Education) 1 2		
13.	1224(अ)	28-12-1988	Commissioner-cum-Secretary (Power & Water Resources) 1 2		
14.	479	4-8-1990	Commissioner-cum-Secretary (Personnel) 1 2		
15.	309	2-7-1994	Commissioner-cum-Secretary (Health) 1 2		
16.	319(अ)	31-3-1995	Secretary (Industries) 1 2		
17.	739(अ)	31-12-1997	Secretary (Supply & Transport) 1 2		
18.	339	9-10-2004	Secretary (Rural Development) 1 2		
19.	16(अ)	8-02-2008	Secretary to Chief Minister 1 2		
20.	188(अ)	24-03-2009	Secretary to Governor 1 2		

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2010

G.S.R. 190(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Governments of Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and all Union Territories, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

- (1) These Regulations shall be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted namely :—

Posts under the Government of Goa 18		
Chief Secretary	1	—
Principal Secretary	1	2
Commissioner/Secretary (Finance)	1	2
Commissioner/Secretary (Education & Health)	1	2
Secretary to Governor	1	2
Secretary to Chief Minister	1	2
Secretaries to Government	4	2
Commissioner (VAT)	1	2
Director of Industries and Mines	1	2
Collector/District Magistrate	2	2
Commissioner of Excise	1	2
Director (Education)	1	2
Director (Tourism)	1	2
Resident Commissioner	1	2

Posts under the Government of Mizoram	29		Collector/District Magistrate (Daman, Diu and Dadra & Nagar Haveli)	3	2
Chief Secretary	1	—	Posts under the Government of NCT of Delhi	56	
Development Commissioner	1	2	Chief Secretary to Government	1	—
Commissioner & Secretary (Finance)	1	2	Financial Commissioner	1	2
Commissioner & Secretary (Revenue)	1	2	Principal Secretary (Home)	1	2
Commissioner & Secretary (Home)	1	2	Principal Secretary (Finance)	1	2
Commissioner & Secretary (Health & Family Welfare)	1	2	Principal Secretary (UD)	1	2
Commissioner & Secretary (Education)	1	2	Principal Secretary (Health & F.W.)	1	2
Secretaries	4	2	Principal Secretary (PWD/L&B)	1	2
Secretary to Governor	1	2	Principal Secretary (Transport)	1	2
Secretary to Chief Minister	1	2	Principal Secretary (Education)	1	2
Registrar, Cooperative Societies	1	2	Chairman, DSSSB	1	2
Special Secretaries	3	2	Principal Secretary to LG	1	2
Director (Food & Supply)	1	2	Principal Secretary to CM	1	2
Director (Industries)	1	2	Commissioner-cum-Secretary (Environment and Forest & Non-Conventional Energy)	1	2
Director (Education)	1	2	Commissioner-cum-Secretary (Tourism, Culture, Archaeology and Academics)	1	2
Deputy Commissioners (Districts)	8	2	Commissioner & Secretary (Development)	1	2
Resident Commissioner	1	2	Commissioner & Secretary (Industries)	1	2
Posts under Andaman & Nicobar Administration	14		Commissioner & Secretary (Food & Supply)	1	2
Chief Secretary	1	—	Commissioner & Secretary (Planning & Infrastructure)	1	2
Development Commissioner	1	2	Commissioner & Secretary (Water & Resources)	1	2
Commissioner-cum-Secretary (Finance)	1	2	Divisional Commissioner	1	2
Commissioner-cum-Secretary (Shipping and Transport)	1	2	Director, Vigilance	1	2
Secretary to Lt. Governor	1	2	Director of Education	1	2
Deputy Commissioner (Districts)	3	2	Commissioner (Trades and Taxes)	1	2
Secretary (Personnel)	1	2	Commissioner-cum-Secretary (Health & FW)	1	2
Secretary (Tourism)	1	2	Commissioner-cum-Secretary (TTE)	1	2
Secretary (Health)	1	2	Commissioner-cum-Secretary (GAD & AR)	1	2
Secretary (Education)	1	2	Commissioner-cum-Secretary (Social Welfare and Women & Child Development)	1	2
Secretary (RD/LSG & PWD)	1	2	Commissioner & Secretary (Services & Training)	1	2
Resident Commissioner	1	2	Commissioner (Excise & Entertainment)	1	2
Posts under Chandigarh Administration	9		Commissioner (Labour)	1	2
Advisor to the Administrator, Chandigarh	1	—	Special Commissioner (Transport)	1	2
Secretary (Home)	1	2	Special Commissioner (Trade & Taxes)	2	2
Secretary (Finance)	1	2			
Deputy Commissioner (Districts)	1	2			
Joint Secretary (Finance)	1	2			
Secretaries	2	2			
Additional Secretary	1	2			
Additional Deputy Commissioner	1	2			
Posts under Daman, Diu/Dadra & Nagar Haveli Administration	5				
Development Commissioner	1	—			
Finance Secretary	1	2			

9589/10-2

Chief Electoral Officer	1	2	6. Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Items 1, 2, 3 & 4 above	102
Inspector General of Registration (Revenue Department)	1	2		
Registrar Cooperative Societies	1	2		
Director (Training & Technical Education)	1	2	7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	235
Director (Higher Education)	1	2		
CEO (Disaster Management)	1	2		
Dy. Commissioner (Districts)	5	2		
Director of Training (UTCS)	1	2		
Director of Social Welfare	1	2		
Director, Agricultural Marketing	1	2		
Special Secretary (Finance)	1	2		
Additional Director of Education (Admn.)	1	2		
Special Secretary (Planning & Monitoring and ISHM, Health & F.W.)	1	2		
Special Secretary (Services)	1	2		
Special Secretary (NCR)	1	2		
Special Secretary (UD)	1	2		
Special Secretary (PWD)	1	2		
Special Secretary to Lt. Governor	1	2		
Director, Women & Child Development	1	2		
Posts under Lakshadweep Administration	2			
Development Commissioner	1	—		
Collector-cum-District Magistrate	1	2		
Posts under the Government of Puducherry	13			
Chief Secretary	1	—		
Secretary (Planning)-cum-Development Commissioner	1	2		
Commissioner-cum-Secretary (Education and Welfare)	1	2		
Commissioner-cum-Secretary (Finance)	1	2		
Secretaries to Government	4	2		
Resident Commissioner	1	2		
Secretary to Lt. Governor	1	2		
Secretary to Chief Minister	1	2		
Collectors	2	2		
1. Senior Duty Posts under the Joint AGMUT Cadre		183		
2. Central Deputation Reserve not exceeding 40% of Item 1 above		73		
3. State Deputation Reserve not exceeding 25% of Item 1 above		45		
4. Training Reserve not exceeding 3.5% of Item 1 above		6		
5. Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above		30		
			TOTAL AUTHORISED STRENGTH	337
			Note 1 : Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of AGMUT Cadre was 245.	
			[F. No. 11031/03/2009-AIS-II-A] HARISH CHANDRA RAI, Desk Officer	
			Note 2 : The principal regulations were published in the Gazette of India <i>vide</i> S.R.O. No. 3350, dated 22-10-55. The Regulation in respect of AGMUT Cadre was amended <i>vide</i> following G.S.Rs. :	
			S. No.	G.S.R. Nos.
				Date
			1.	1065
				5-10-74
			2.	92
				25-1-75
			3.	286(E)
				6-4-76
			4.	1323
				8-10-77
			5.	1280
				28-10-78
			6.	1037
				11-8-79
			7.	529(E)
				8-9-80
			8.	229
				28-2-81
			9.	446(E)
				24-5-83
			10.	775(E)
				17-11-84
			11.	1069
				13-12-86
			12.	190
				26-3-68
			13.	1224(E)
				28-12-88
			14.	479
				4-8-90
			15.	309
				2-7-94
			16.	319(E)
				31-3-95
			17.	739(E)
				31-12-97
			18.	339
				9-10-04
			19.	76(E)
				8-2-2008
			20.	188(E)
				24-3-2009

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2010

सा.का.नि. 191(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61), की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार अरुणाचल प्रदेश, गोवा,

,जोरम और सभी संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की सहमति से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाई है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) जोसरा संशोधन नियमावली, 2010 कहलायेंगे।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :—

(क) तालिका के "राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में बरिष्ठ वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों की अनुसूची II-भाग क में" प्रथम कॉलम में 'अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र' प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुकूली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र

अरुणाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत पद

सरकार के मुख्य सचिव	80000 रु. (नियत)
विकास आयुक्त	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु.

आयुक्त-सह-सचिव (पी.डब्ल्यू.डी./ आर.डब्ल्यू.डी.)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त-सह-सचिव (वित्त)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त-सह-सचिव (गृह)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त-सह-सचिव (बिजली और जल संसाधन)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त-सह-सचिव (कार्मिक)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000.

गोवा सरकार के अंतर्गत पद

मुख्य सचिव	80000 रु. (नियत)
प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु.
आयुक्त/सचिव (वित्त)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त/सचिव (शिक्षा और स्वास्थ्य)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000

मिजोरम सरकार के अंतर्गत पद

मुख्य सचिव	80000 रु. (नियत)
विकास आयुक्त	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु.
आयुक्त और सचिव (वित्त)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त और सचिव (राजस्व)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000

आयुक्त और सचिव (गृह)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त और सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त और सचिव (शिक्षा)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के अंतर्गत पद

सरकार के प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु.
विकास आयुक्त	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त-सचिव (वित्त)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त-सचिव (पोस्ट एवं परिवहन)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000

चण्डीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत पद

प्रशासक के सलाहकार, चण्डीगढ़	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु.
सचिव (गृह)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
सचिव (वित्त)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
दमन, दीव एवं दादरा तथा नगर हवेली प्रशासन के अंतर्गत पद	
विकास आयुक्त	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
वित्त सचिव	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत पद

सरकार के मुख्य सचिव	80000 रु. (नियत)
वित्त सचिव	80000 रु. (नियत)
प्रधान सचिव (गृह)	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु.
प्रधान सचिव (वित्त)	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु.
प्रधान सचिव (पू.डी.)	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु.
प्रधान सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु.
प्रधान सचिव (पी.डब्ल्यू.डी./एल. एण्ड बी.)	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु.
प्रधान सचिव (परिवहन)	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु.
प्रधान सचिव (शिक्षा)	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु.

अध्यक्ष, डी.एस.एस.एम.बो.	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु.	निदेशक (प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000 N
एल. जी. के प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु.	निदेशक (उच्च शिक्षा)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
सौ. एम. के प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु.	सी.ई.ओ. (आपना प्रबंधन)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त-सह-सचिव (पर्यावरण और वन तथा गैर परम्परागत ऊर्जा)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	सक्ष्मद्वीप प्रशासन के अंतर्गत पद	
आयुक्त-सह-सचिव (पर्यटन, संस्कृति, पुरातत्व और अकादमी)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	विकास आयुक्त	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त और सचिव (विकास)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	पुदुच्चेरी सरकार के अंतर्गत पद	
आयुक्त और सचिव (उद्योग)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु.
आयुक्त और सचिव (खाद्य और आपूर्ति)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	सचिव (योजना)-सह-विकास आयुक्त	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त और सचिव (योजना और अवसंरचना)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा और कल्याण)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त और सचिव (जल और संसाधन)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	आयुक्त-सह-सचिव (विद्युत)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000
प्रदेशिक आयुक्त	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	(ख) वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों को "अनुसूची II-भाग ख" में 'अरुणाचल प्रदेश-मिज़ोरम-गोवा-संध राज्य क्षेत्र' के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—	
निदेशक, सतर्कता	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	अरुणाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत पद	
निदेशक, शिक्षा	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	सचिव (उद्योग)	
आयुक्त (व्यापार और कर)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	सचिव (आपूर्ति और परिवहन)	
आयुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	सचिव (ग्रामीण विकास)	
आयुक्त-सह-सचिव (टी.टी.ई.)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	मुख्य मंत्री के सचिव	
आयुक्त-सह-सचिव (जी.ए.टी. और ए.आर.)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	राज्यपाल के सचिव	
आयुक्त-सह-सचिव (सामाजिक कल्याण और महिला और बाल विकास)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	पंजीयक, सहकारी समिति	
आयुक्त और सचिव (सेवा और प्रशिक्षण)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	निदेशक (परिवहन)	
आयुक्त (उत्पाद शुल्क और मनोरंजन)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	निदेशक, नागरिक आपूर्ति	
आयुक्त (श्रम)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	निदेशक (शिक्षा)	
विशेष आयुक्त (परिवहन)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	निदेशक (स्वास्थ्य सेवा)	
विशेष आयुक्त (व्यापार और कर)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	स्थानिक आयुक्त	
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	उपायुक्त (जिला)	
महानिरीक्षक, पंजीयन (राजस्व विकास)	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	गोवा सरकार के अंतर्गत पद	
पंजीयक, सहकारी समिति	पी.बी.-4 + जी.पी. रु. 10000	राज्यपाल के सचिव	
		मुख्य मंत्री के सचिव	
		सरकार के सचिव	
		आयुक्त (चैट)	
		निदेशक (उद्योग और खान)	
		कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट	
		आयुक्त, उत्पाद शुल्क	
		निदेशक (शिक्षा)	

निदेशक (पर्यटन)
 स्थानिक आयुक्त
 मिजोरम सरकार के अंतर्गत पद
 सचिव
 राज्यपाल के सचिव
 मुख्य मंत्री के सचिव
 पंजीयक, सहकारी समिति
 विशेष सचिव
 निदेशक (खाद्य और आपूर्ति)
 निदेशक (उद्योग)
 निदेशक (शिक्षा)
 उपायुक्त (जिला)
 स्थानिक आयुक्त
 अंडमान और निकोबार प्रशासन के
 अंतर्गत पद
 उप-राज्यपाल के सचिव
 उपायुक्त (जिला)
 सचिव (कार्मिक)
 सचिव (पर्यटन)
 सचिव (स्वास्थ्य)
 सचिव (शिक्षा)
 सचिव (आर.डी./एल.एस.जी. और
 पी.डब्ल्यू.डी.)
 स्थानिक आयुक्त
 चंडीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत पद
 उपायुक्त (जिला)
 संयुक्त सचिव (वित्त)
 सचिव
 अपर सचिव
 अपर उपायुक्त
 दमन, दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली
 के अंतर्गत पद
 कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
 (दमन, दीव और दादरा और नागर हवेली)
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के
 अंतर्गत पद
 उपायुक्त (जिला)
 निदेशक, प्रशिक्षण (यू.टी.सी.एस.)
 निदेशक, सामाजिक कल्याण
 निदेशक, कृषि विपणन
 विशेष सचिव (वित्त)

अपर निदेशक, शिक्षा (प्रशासन)
 विशेष सचिव (योजना और निगरानी और
 आई.एस.एच.एम., स्वास्थ्य और
 परिवार कल्याण)
 विशेष सचिव (सेवा)
 विशेष सचिव (एन.सी.आर.)
 विशेष सचिव (यू.डी.)
 विशेष सचिव (पी. डब्ल्यू. डी.)
 उप राज्यपाल के विशेष सचिव
 निदेशक, महिला एवं बाल विकास
 लक्षद्वीप सरकार के अंतर्गत पद
 कलेक्टर-सह-जिला मजिस्ट्रेट
 पुदुच्चेरी सरकार के अंतर्गत पद
 सरकार के सचिव
 स्थानिक आयुक्त
 उप-राज्यपाल के सचिव
 मुख्य मंत्री के सचिव
 कलेक्टर

[सं. 11031/03/2009-अ.पा.से. II-ख]

हरीश चन्द्र राव, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी : मुख्य नियम सं. सा.का.वि. 213(अ), दिनांक 20-3-2008 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए और बाद में सं. सा.का.वि. 665(अ), दिनांक 19-9-2008, 123(अ), दिनांक 15-4-2009, सं. सा.का.वि. 542(अ), दिनांक 21-7-2009, सं. सा.का.वि. 572(अ), दिनांक 13-8-2009, सं. सा.का.वि. 820, दिनांक 12-11-2009 और सं. सा.का.वि. 72(अ), दिनांक 10-2-2010 द्वारा संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2010

G.S.R. 191(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Governments of Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and all Union Territories, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely :—

- (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Third Amendment Rules, 2010.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007:—

(a) In "Schedule II-Part A" posts carrying pay above the senior scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the Table, for the entry 'Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories' occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

ARUNACHAL PRADESH-GOAMIZORAM-UNION TERRITORIES

Posts under the State Government of Arunachal Pradesh

Chief Secretary to Government	Rs. 80000 (fixed)
Development Commissioner	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000
Commissioner-cum-Secretary (PWD/RWD)	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner-cum-Secretary (Finance)	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner-cum-Secretary (Home)	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner-cum-Secretary (Education)	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner-cum-Secretary (Power & Water Resources)	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner-cum-Secretary (Personnel)	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner-cum-Secretary (Health)	PB-4+GPRs. 10000

Posts under the Government of Goa

Chief Secretary	Rs. 80000 (fixed)
Principal Secretary	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000
Commissioner/Secretary (Finance)	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner/Secretary (Education & Health)	PB-4+GPRs. 10000

Posts under the Government of Mizoram

Chief Secretary	Rs. 80000 (fixed)
Development Commissioner	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000
Commissioner & Secretary (Finance)	PB-4+GPRs. 10000

Commissioner & Secretary (Revenue)	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner & Secretary (Home)	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner & Secretary (Health & Family Welfare)	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner & Secretary (Education)	PB-4+GPRs. 10000

Posts under Andaman & Nicobar Administration

Chief Secretary to Government	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000
Development Commissioner	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner-cum-Secretary (Finance)	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner-cum-Secretary (Shipping and Transport)	PB-4+GPRs. 10000

Posts under Chandigarh Administration

Advisor to the Administrator, Chandigarh	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000
Secretary (Home)	PB-4+GPRs. 10000
Secretary (Finance)	PB-4+GPRs. 10000

Posts under Daman, Diu and Dadra & Nagar Haveli Administration

Development Commissioner	PB-4+GPRs. 10000
Finance Secretary	PB-4+GPRs. 10000

Posts under the Government of NCT of Delhi

Chief Secretary to Government	Rs. 80000 (fixed)
Financial Commissioner	Rs. 80000 (fixed)
Principal Secretary (Home)	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000
Principal Secretary (Finance)	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000
Principal Secretary (UD)	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000
Principal Secretary (Health & F. W.)	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000
Principal Secretary (PWD/L&B)	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000

Principal Secretary (Transport)	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000	Special Commissioner (Trade & Taxes)	PB-4+GPRs. 10000
Principal Secretary (Education)	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000	Chief Electoral Officer	PB-4+GPRs. 10000
Chairman, DSSSB	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000	Inspector General of Registration (Revenue Department)	PB-4+GPRs. 10000
Principal Secretary to LG	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000	Registrar Cooperative Societies	PB-4+GPRs. 10000
Principal Secretary to CM	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000	Director (Training & Technical Education)	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner-cum-Secretary (Environment and Forest and Non-conventional Energy)	PB-4+GPRs. 10000	Director (Higher Education)	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner-cum-Secretary (Tourism, Culture, Archaeology and Academics)	PB-4+GPRs. 10000	CEO (Disaster Management)	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner & Secretary (Development)	PB-4+GPRs. 10000	Posts under Lakshadweep Administration	
Commissioner & Secretary (Industries)	PB-4+GPRs. 10000	Development Commissioner	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner & Secretary (Food & Supply)	PB-4+GPRs. 10000	Posts under the Government of Puducherry	
Commissioner & Secretary (Planning & Infrastructure)	PB-4+GPRs. 10000	Chief Secretary	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000
Commissioner & Secretary (Water & Resources)	PB-4+GPRs. 10000	Secretary (Planning)-cum-Development Commissioner	PB-4+GPRs. 10000
Divisional Commissioner	PB-4+GPRs. 10000	Commissioner-cum-Secretary (Education and Welfare)	PB-4+GPRs. 10000
Director, Vigilance	PB-4+GPRs. 10000	Commissioner-cum-Secretary (Finance)	PB-4+GPRs. 10000
Director of Education	PB-4+GPRs. 10000	(b) In "Schedule II—Part B" Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay, for the entries occurring under 'Arunachal Pradesh-Mizoram-Goa-Union Territories', the following shall be substituted, namely :—	
Commissioner (Trades and Taxes)	PB-4+GPRs. 10000		
Commissioner-cum-Secretary (Health & FW)	PB-4+GPRs. 10000	Posts under the Government of Arunachal Pradesh	
Commissioner-cum-Secretary (ITE)	PB-4+GPRs. 10000	Secretary (Industries)	
Commissioner-cum-Secretary (GAD & AR)	PB-4+GPRs. 10000	Secretary (Supply & Transport)	
Commissioner-cum-Secretary (Social Welfare and Women & Child Development)	PB-4+GPRs. 10000	Secretary (Rural Development)	
Commissioner (Excise & Entertainment)	PB-4+GPRs. 10000	Secretary to Chief Minister	
Commissioner (Labour)	PB-4+GPRs. 10000	Secretary to Governor	
Special Commissioner (Transport)	PB-4+GPRs. 10000	Registrar, Cooperative Societies	
		Director (Transport)	
		Director of Civil Supplies	
		Director (Education)	
		Director (Health Services)	
		Resident Commissioner	
		Deputy Commissioner (Districts)	

Posts under the Government of Goa

Secretary to Governor
 Secretary to Chief Minister
 Secretaries to Government
 Commissioner (VAT)
 Director of Industries and Mines
 Collector/District Magistrate
 Commissioner of Excise
 Director (Education)
 Director (Tourism)
 Resident Commissioner

Posts under the Government of Mizoram

Secretaries
 Secretary to Governor
 Secretary to Chief Minister
 Registrar, Cooperative Societies
 Special Secretaries
 Director (Food & Supply)
 Director (Industries)
 Director (Education)
 Deputy Commissioners (Districts)
 Resident Commissioner

Posts under Andaman & Nicobar Administration

Secretary to Lt. Governor
 Deputy Commissioner (Districts)
 Secretary (Personnel)
 Secretary (Tourism)
 Secretary (Health)
 Secretary (Education)
 Secretary (RD/LSG & PWD)
 Resident Commissioner

Posts under Chandigarh Administration

Deputy Commissioner (Districts)
 Joint Secretary (Finance)
 Secretaries
 Additional Secretary
 Additional Deputy Commissioner

Posts under Daman, Diu and Dadra & Nagar Haveli Administration

Collector /District Magistrate
 (Daman, Diu and Dadra & Nagar Haveli)

Posts under the Government of NCT of Delhi

Dy. Commissioner (Districts)
 Director of Training (UTCS)
 Director of Social Welfare
 Director, Agricultural Marketing
 Special Secretary (Finance)
 Additional Director of Education (Admn.)
 Special Secretary
 (Planning & Monitoring and ISHM, Health & FW)
 Special Secretary (Services)
 Special Secretary (NCR)
 Special Secretary (UD)
 Special Secretary (PWD)
 Special Secretary to Lt. Governor
 Director, Women & Child Development

Posts under the Government of Lakshadweep

Collector-cum-District Magistrate

Posts under the Government of Puducherry

Secretaries to Government
 Resident Commissioner
 Secretary to Lt. Governor
 Secretary to Chief Minister
 Collectors

[No. 11031/13/2009-AIS-II(B)]

HARISH CHANDRA RAI, Desk Officer

Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* No. G.S.R. 213(E) dated the 20-03-2008 and subsequently were amended *vide* No. G.S.R. 665(E) dated 19-09-2008, 123(E) dated 15-04-2009, No. G.S.R. 542(E) dated 21-07-2009, No. G.S.R. 572(E) dated 13-08-2009, No. G.S.R. 820 dated 12-11-2009 and No. G.S.R. 72 (E) dated 10-02-2010.